ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली में महिला सशक्तिकरण

सैय्यद जाफर मूसा ,
(शोध छात्र)
का सु साकेत स्नानकोत्तर महाविद्यालय
अयोध्या, फैजाबाद

ततहीर फात्मा ,
सहायक प्राध्यापिका, गृहविज्ञान विभाग
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ।

भारत एक लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली वाला देश है। शासन की सभी प्रणालियों में लोकतंत्र अपनी सभी कमियों के बावजूद एक आदर्श व्यवस्था है। शासन की एक पद्धति और राज्य का एक प्रकार होने के साथ–साथ लोकतंत्र समाज की एक व्यवस्था भी है। एक लोकतांत्रिक समाज वह समाज है, जिसमें समानता और बन्धुत्व की भावन प्रधान होती है। यदि लोकतांत्रिक के आदर्शों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो सम्पूर्ण राजनीति में आमजन की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा। लोकतत्र में लोगों की भागीदारी जितनी कम होगी उसी अनुपात में उसकी निगरानी भी उतनी ही कम हो जायेगीं। विचार–विमर्श व सहमति की निर्णय प्रक्रिया में कुछ या अधिकांश लोगों का सम्मिलित होना किसी निर्णय के ढंग को लोकतांत्रिक नहीं बनाता है। इसके लिए निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता का होना अनिवार्य है। निर्णय–प्रक्रिया में सम्पूर्ण समाज को सहभागी बनाने का दूसरा नाम ही लोकतन्त्र है।

राजनीतिक सहभागिता वह गतिविधि है जिसके जरिये कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों निर्णयों के निर्माण–निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सा लेता है। राजनीतिक सहभागिता सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य तत्व है। राजनीतिक प्रक्रिया में आमजन की लोकप्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत ने लम्बा रास्ता तय किया है। लोकतंत्र तभी सार्थक होता है, जब वह शक्ति को कुछ थोड़े लोगों तक केंद्रित न कर के समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी पहुँच बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने शुरूआत से ही अपने को अधिकांशतः इसी दिशा में केंद्रित किया है। संविधान का ऐतिहासिक 73वां, 74वां संविधान संशोधन (1993) इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह संपूर्ण देश में स्थानीय स्व–शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर उसमें महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आदेशात्मक बनाता है। अब स्थानीय स्व–शासन की कुल सीटें और पदों के 33 फीसदी पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व है। जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

समाज के सबसे निचले स्तर तक लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना हेंतु 73वें, 74वें संविधान संशोधन बिल पर राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी ने कहा था कि–''यह पंचायती राज और नगरपालिका विधेयक हर चौपाल–हर चबूतरे, हर आंगन–दालान तक लोकतंत्र को पहुँचाने वाला उपकरण ही नहीं वरन् यह तानाशाही, निपट–निकम्मेपन, नौकरशाही के उत्पीड़न, टेक्नोलॉजी की तानाशाही, लालफीता शाही, भाई–भजीतावाद और धांधली जैसी लोखों दुखदायक तकलीफों का मेनीफेस्टो (घोषणा–पत्र) है। ''यह फरमान है सत्ता के दलालों के अन्त का, उन

बिचौलियों के कारोबार का अन्त जिन्हें शेक्सपीयर ने जन–शासन की 'सुडिया' कहा था। लोकतन्त्र के प्रति स्व0 राजीव गाधी के दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक इस विधेयक को उनकी अकाल मृत्यु के बाद 1993 में कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार ने संशोधनोपरांत संसद में पारित कराकर कानून का रूप प्रदान कर ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रसस्त किया।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्थानीय स्व–शासन की सफलता और महत्व को देखते हुए केन्द्र की मनमोहन सरकार ने 27 अगस्त 2009 को 110वें संविधान संशोधन के जरिये महिला आऱक्षण का कोटा 33 फीसदी से बढाकर 50 फीसदी कर दिया है। पूरे देश में पंचायती प्रणाली में 50 फीसदी आरक्षण लागू होने के बाद, महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 14 लाख होने का अनुमान है। अभी देश की कुल पंचायतों में लगभग 28 लाख 10 हजार निर्वाचित प्रतिनिधि है, जिनमें से 36.87 फीसदी करीब 10,38,997 महिलायें हैं। बिहार सहित कई प्रदेशों की पंचायती प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी से भी अधिक है, क्योंकि कुछ महिलाएं अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़कर निर्वाचित हो रही हैं। यह एक अच्छा संकेत है, इसमें महिलाओं के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हो रही है, और वे सशक्तिकरण की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं।

आज महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। महिलाओं ने अनेक अवसरों पर पुरूषों को अपनी शक्ति सम्पन्नता अहसास कराया है। अब पुरूष प्रधान समाज भी यह समझ चुका है कि विकास कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के बिना वांछित लक्ष्य प्राप्त कर पाना अत्यन्त कठिन है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास की कल्पना बेइमानी है। ये सभी बिंदु महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को दर्शा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाना है। शक्ति से सशक्तिकरण का सिद्धांत पोषित होता है। शक्ति से तात्पर्य किसी कार्य को करने या न करने की क्षमता और स्वतंत्रता से है। व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। शक्तिकरण एक बहुआयामी एवं अनवरत् गतिशील प्रक्रिया है। यह महिलाओं में इतनी जागरूकता लाती है कि उनमें शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक संशाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करनें की क्षमता का विकास हो पाता है। जिससे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया जाने लगता है। यह उन्हें अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है।

महिला सशक्तिकरण के संबन्ध में ऑफिस ऑफ द युनाईटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर ह्यूमन राइट का कहना है कि ''राजनीति में महिलाओं सक्रिय भागीदारी महिलाओं को शक्ति क्षमता और काबिलियत देती है, ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा का निर्धारण स्वयं कर सके। अर्थात् यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ देती है अपितु सत्ता के श्रोतों पर नियंत्रण करने की क्षमता भी प्रदान करती है।''

महिलाओं की स्थिति जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ''विश्व जैन्डर गैपइन्डैक्स'' के चार मानक हैं यह है– आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण।

इस आधार पर 2007 में 128 देशों में हुये सर्वेक्षण में भारत का स्थान 114वां था। कुछ क्षेत्रों में तो भारत और भी निचले पायदान पे था। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और अवसर में भारत का स्थान 122वां था। शिक्षा के क्षेत्र में 116वां (15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं कभी स्कूल ही नहीं गईं) और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 126वां स्थान भारत का था। (भारत में मात्र मृत्यु दर प्रति एकलाख जीवित जन पर 301 है) पंचायती राज में लाखों महिलाएं

होने के कारण राजनीतिक सशक्तिकरण के मोर्च पर भारत का स्थान 21वां था।

73वे, 74वें संविधान संशोधन से पूर्व महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता केवल मतदान करने तक सीमित थी। निर्णय–प्रक्रिया में उनकी भागीदारी न के बराबर थी। यहाँ भागीदारी के स्तर पर पुरूषों का वर्चस्व कायम था, और इसे समान्यतः पुरूषों का ही क्षेत्र माना जाता था। लेकिन स्थानीय स्व–शासन की व्यवस्था ने शक्ति को सबसे निचले तबके तक पहुँचाया और निर्णय प्रक्रिया में पुरूषों के वर्चस्व और एकाधिकार को तोड़ कर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को अनिवार्य बनाया। जो शासन के सभी आयामों में महिला सहभागिता की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है।

यह सत्य है कि जब पंचायतो और नगरीय निकायों के लिए एक तिहाइ सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कदम महिला सशक्तिकरण कि दिशा में इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा। पिछले बीस वर्षों का अनुभव यही बताता है कि स्थानीय स्व–शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता से उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतत्र का मेरूदण्ड है। महिलाओं को सशक्त करने के साथ–साथ पंचायती प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र का भी मजबूत किया है। राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से स्थानीय स्व–शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। महिलाओं की आत्मविश्वास और जोश के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में रूवि बढ़ी है। मध्य प्रदेश की रोहना ग्राम पंचायत की सरपंच रामवती का कहना है कि ''दलित होने के रूप में मुझे लोगों द्वारा नजर अंदाज किये जाने कि आदत थी। लेकिन जबसे मै सरपंच निर्वाचित हुई हूँ अब वही लोग मुझसे अदब से बात करते हैं। ईश्वर ने मुझे नई राह दिखाई। मै भी जितना हो सकेगा कार्य करूगी और आगे की सरपंच बनना चाहुँगी।''

पंचायती प्रणाली में महिलाओं की यह मात्रा केवल संख्या और अनुपात तक सीमित नहीं है। पंचायतो और नगरीय निकाय में महिलाओं की उपस्थिति से उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि चूल्हा–चौका, बच्चे पैदा कर उनका पालन–पोषण करने के साथ–साथ वे अपने गाँव, नगर और समाज के लिए ऐसे कार्य भी बखूबी कर सकती हैं, जिसके लिए पुरूष शासित समाज ने उन्हें कभी अवसर ही नहीं दिया। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की महिला सरपंच ने पुरूष प्रधान समाज के तमाम दबाव के बावजूद अपने ससुर और पति के खिलाफ अधिसूचना जारी की कि वे बताए कि पंचायत जमीन हड़पने की वजह से उनके विरूद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये?

हरियाणा की एक महिला सरपंच ने एक सार्वजनिक जमीन को 60000/– रूपये में 2 वर्ष के लिए पट्टा किया जबकि वही जमीन उससे पहले 20000/– रूपये प्रति वर्ष के पट्टे पर 5 वर्ष के लिए ही दी गई थी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध होने पर महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ और निर्णय लेने की क्षमता से साबित कर दिया है कि वे किसी मायने में पुरूषों से कम नहीं हैं और अवसर मिलने पर बेहतर भी कर सकती हैं। मघ्यावृती समीक्षा रिपार्ट में बताया गया है कि महिला प्रतिनिधि पंचायत एवं नगरीय विकास का बजट तैयार करने की उनकी सूझबूझ काम आ रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि बजट तैयार करते समय वे उन कार्यों को आर्थिक महत्व देती है, जो महिलाओं के उपयोग के है। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अभी तक चले आ रहे भेद–भाव को दूर करने में मदद मिल रही है। यह भी देखने में आया है कि पंचायत और नगरीय निकाय में पदाधिकारी बनने में घर–परिवार और आस–पास उनका सम्मान बढ़ा है और जो पुरूष पहले औरत के सुझाव की अनदेखी करते थे, वे अब उनकी बातों को गम्भीरता से लेते हैं। उनके साथ समानता का बर्ताव करते हैं। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। जहाँ महिलाएं सरपंच या नगर निकाय अध्यक्ष चुनी गई हैं, वहाँ काम–काज में

काफी सुधार आया है। इसके अलावा सरकारी कल्याणकारी एवं रोजगार देने वाले कार्यक्रमों को अधिक मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है।
स्थानीय स्व–शासन में सक्रिय भागीदारी से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है। उन्हें शिक्षा के अभाव में इन संस्थाओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं स्वयं महसूस करती हैं कि यदि वे शिक्षित होती तो इन संस्थाओं में और बेहतर तरीके से कार्य सम्पादन एवं सहभागिता कर पाती। उनकी इस सोच ने लडकियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है। महिला प्रतिनिधियों ने अशिक्षा, गरीबी, असमानता, लैंगिक–भेदभाव, स्वास्थ्य, नशाखोरी, घरेलू भेदभाव व हिंसा आदि मुद्दों का उठाकर स्थानीय स्व–शासन की प्रकृति व दशा को परिवर्तित कर दिया है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने वंचित शोषित और दलित वर्ग की महिलाओं को परिवार और समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सशक्तिकरण की गति काफी तेज हो गई है।

पंचायत एवं नगरीय निकायों में महिलओं द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के बाद भी देश की सबसे बड़ी पंचायत और राज्य की विधान सभाओं में उनकी भागीदारी की स्थिति काफी सोचनीय बनी हुई है।

संसद में महिलाओं की भागीदारी

तालिका नं0 1

क्रम	वर्ष	लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या	लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	1952	499	22	4.4
2	1957	500	27	5.4
3	1962	503	34	6.8
4	1967	523	31	5.9
5	1971	521	22	4.2
6	1977	544	19	3.3
7	1980	544	38	5.2
8	1984	544	44	8.1
9	1989	517	27	5.2
10	1991	544	39	7.2
11	1996	543	39	7.2
12	1998	543	43	7.9
13	1999	545	49	8.65
14	2004	539	44	8.16
15	2009	545	60	11.00
16	2014	545	61	11.30

तालिका नं0 1 से स्पष्ट है कि अब तक की भारतीय लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 1977 छठी लोकसभा में सबसे कम 19 थी जो कुल सदस्य संख्या की मात्र 3.3 फीसदी है और सोलहवीं लोकसभा 2014 में महिलाओं की भागीदारी की सर्वाधिक संख्या 61 है जो कुल सदस्य संख्या की मात्र 11.3 फीसदी ही है। ये आँकड़े इस बात की गवाही दे रहे है कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। जबकि महिलाएं देश की कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं।

दूसरी तरफ तालिका 1 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 73वें, 74वें संविधान संशोधन (1993) के पश्चात्, स्थानीय स्व–शासन प्रणाली में 33 फीसदी आरक्षण प्राप्त होने के बाद महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता बढ़ी है, और वे राष्ट्रीय राजनीति में भी भागीदारी व सहभागिता बढ़ाने के लिए संघर्षरत है। चौदहवी लोकसभा 2004 में महिलाओं की भागीदारी में आई .49 फीसदी की कमी को यदि छोड़ दिया जाए तो ग्यारहवीं लोकसभा 1996 से चौदहवीं लोकसभा 2014 तक बहुत धीरे–धीरे ही सही पर लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

भारतीय संसद और राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से संसद में 33 फीसदी महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक लम्बित पड़ा था जिसे केन्द्र की यू0पी0ऐ सरकार ने लोकसभा के बजाय राज्य सभा में पेश कर, 9 मार्च 2010 को 108वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब यह विधेयक लोकसभा में पारित होकर कानून का रूप ले लेगा, तब लोकसभा में 545 सदस्यों में 180 महिलाएं और राज्यसभा में 245 सदस्यों में 80 महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती नजर आयेंगी। इसी प्रकार राज्य की विधान सभाओं में भी 33 प्रतिशत महिलाएं अपनी जबरदस्त भागीदारी और सहभागिता का एहसास कराती दिखाइ पड़ेगी।

निष्कर्षः सारतः कहा जा सकता है कि आज महिलाएं पंचायत, ब्लाक, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष से लेकर मेयर के पदों तक निर्णय लेने एवं आदेश देते, सभाएं करते, जन समूह को संबोधित करते, वाद–विवाद का निपटारा करते एवं लोगों की मदद करते देखी जा रही हैं। राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की सोच में काफी परिवर्तन आ गया है। अब महिलाएं घर की चहारदीवरी से बाहर निकल कर नीति–निर्माण व निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एवं मुख्य भूमिका निभा रही हैं। लोकतांत्रिक शासन–प्रणाली में वे ऐसे बहुत से कार्य कर रही हैं, जो उन्होने पहले कभी नहीं किये। महिलाएं अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों और अपने कार्यालय जाने लगी हैं। पुरूष प्रतिनिधियों के साथ कुर्सी पर बैठने लगी हैं। सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं। अतः कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की राह आसान कर उनके सशक्तिकरण की गति को तेज कर दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ

- ए.डी. आर्शीवदम् तथा कृष्णाकान्त मिश्र – राजनीतिक विज्ञान, बारहवां हिन्दी संस्करण, 2012, पृ. 603.
- सी.बी. गेना – तुल्नात्मक राजनीति एवं राजनीति संस्थाएं, 2009 पृ. 463.
- ओ.पी. गाबा – राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, सप्तम संस्करण, 2009, पृ. 273.
- मीणा लाल मन्ना – सशक्तिकरण की मौन क्रांति, योना, 2012, पृ. 32.
- प्रतापमल देवपुरा – ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायत, संस्करण 2006, पृ. 6.
- कल्पना शर्मा – सम्पादकीय (महिला आरक्षण करेगा असर धीरे–धीरे) 18 दिसम्बर, 2009.
- https://mediaforrights.org/womenright/hindi.
- https://journalistdharamveer-blogspot.in/2012/05.

Copyright © 2015, Sayeed Jafar Musa and Tatheer Fatma. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.